संख्या-35/2016/251/26-3-2016

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहू जी महाराज,
शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 17 फरवरी 2016

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-823/भा0भ0/2015-16 दिनांक-20.11.2015 के संन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में मानक मद सं0-022 मजदूरी में रू0-0.42 लाख, मद सं0-09 विद्युत देय में रू0-2.00लाख, मद सं0-15 गाडियों का अनुरक्षण में रू0-0.50 लाख, मद सं0-16 व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान में रू0-12.00 लाख तथा मद सं0-17 किराया उपशुल्क में रू0-5.75 लाख की धनराशि अर्थात पुनर्विनियोग के माध्यम से कुल धनराशि रू0-20.67 लाख (रूपये बीस लाख सड़सठ हजार मात्र) व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंकखाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी । उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 311 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-17-छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ की स्थापना-02-मजदूरी-09-विद्युत व्यय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल खरीद-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान-17-किराया उपशुल्क के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

यह आदेश वित विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-139/दस-2016, दिनांक 05 फरवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-35/2016/251/(1)/26-3-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

4- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2

5- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

6- गार्ड फाइल/इन्टरनेट प्रति ।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)
प्रपत्र बी0एम0–9

अनुदान संख्या–80–छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ (स0क0) वित्तीय वर्ष 2015–16

(रू0 हजार में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण						निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण					
लेखाशीर्षक–15डिजिटलकोड में आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)	लेखाशीर्षक–15 डिजिट में आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 277–शिक्षा 17– छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ 01–वेतन 03–महगाई भत्ता	3826 4591	2034 2716	900 1167	900 1167	2926 3424	2225–अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 277–शिक्षा 17– छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ					
						02–मजदूरी	150	192	42	42	192
						06–विद्युत व्यय	2100	2300	200	200	2300
						16–गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल खरीद	400	450	50	50	450
						18–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	2100	3300	1200	1200	3300
						17–किराया उपशुल्क	1000	1575	575	575	1575
योग–	8417	4750	2067	2067	6350		5750	7817	2067	2067	7817

1–स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है–[illegible] पुनर्विनियोग द्वारा अधिक धनराशि आवंटित हो जाने के कारण बचत हो रही है।
2–स्तम्भ–8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में [illegible] निम्नलिखित कारणों से है–संस्थान के 11 रिक्त पदों पर सैनिक कल्याण निगम से संविदा के आधार पर कार्यरत कार्मिकों के भुगतान हेतु एवं संविदा पर [illegible] के भुगतान हेतु।
3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर–150,151,154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–345/ई–3–139 /दस–2016 दिनांक 05 फरवरी ,2016

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(रामसुमेर)
अनुसचिव
वित्त विभाग।

Praroop

संख्या–351/251 (1)/26–3–2016 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –
1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
3– निदेशक समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन/मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट,लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
7– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
8– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विजय प्रसाद त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।